

## कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग  
ई-निविदा

पत्रांक: 1726/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2024-25

दिनांक : 28, फरवरी, 2025

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये ठेका नगर पथ विक्रेता वसूली हेतु

ई-निविदा आमन्त्रित की जा रही है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं:-

क्र० सं	पत्र० सं०	ठेके का नाम	जमानत राशि	वर्ष 2024-25 में ठेका धनराशि (जी०एस०टी० सहित)	न्यूनतम ऑफर(मय जी०एस०टी०) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु।(प्रतिवर्ष)
1	2	3	4	5	6
1	NZ6/2025	ठेका नगर पथ विक्रेता वसूली	11 लाख 10 हजार	1,11,00,000/-	1,11,00,000/-

निविदा शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. प्रत्येक ठेके के निमित्त तकनीकी निविदा में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

- ✓ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित अंकन 100 रु० के नोटरी शपथ पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह तथ्य अंकित होगा कि वह किसी भी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदा के साथ अपलोड करने होंगे।
- ✓ निविदादाता की हैसियत 40 लाख रुपये होनी चाहिये व पिछले 03 वित्तीय वर्ष की औसत टर्नओवर 40 लाख रु० होनी चाहिये, जो कि सी०ए० द्वारा निर्गत होनी चाहिए, संलग्न करनी होगी।

✓ निविदा में केवल फर्म, पार्टनर फर्म, कम्पनी ही प्रतिभाग कर सकते हैं, Joint Venture प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

✓ ठेके की निमित्त निर्धारित जमानत धनराशि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से जमा करनी होगी।

2- ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढ़ी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट [www.saharanpurnagarnigam.com](http://www.saharanpurnagarnigam.com) व एन०आई०सी० की वेबसाइट [www.saharanpur.nic.in](http://www.saharanpur.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

3- ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4- जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नहीं होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

5- ऑनलाईन निविदा दिनांक 17.03.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से डाली जायेगी, एवम् तददिनांक को सायं 03:00 बजे निविदा गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6- टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1180/- रु० (जी०एस०टी० सहित) देय होगा।

प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)  
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर।

मा० महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 27.02.2025 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3-प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक शाह टाइम्स पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

4-रिकार्ड कीपर को निविदा की व्यवस्था कराने हेतु।

5-नोटिस बोर्ड पर चस्था करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर।

**Bidder Specific-**

1. प्रत्येक जोन के टेके के निमित्त तकनीकी निविदा में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

A -टेके की निमित्त निर्धारित जमानत धनराशि व टैण्डर शुल्क अंकन  $1000+180= 1180/-$  ₹0 (जी0एस0टी0 सहित) ई-टैण्डरिंग के माध्यम से जमा करनी होगी।

B -आधार कार्ड।

C -पैन कार्ड।

D -जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

E -चरित्र प्रमाण पत्र।

F -नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित अंकन 100 ₹0 के नोटरी शपथ पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह तथ्य अंकित होगा कि वह किसी भी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, निविदा के साथ अपलोड करने होंगे।

G -निविदादाता की हैसियत 40 लाख रुपये होनी चाहिये व पिछले 03 वित्तीय वर्ष की औसत टर्नओवर 40 लाख ₹0 होनी चाहिये, जो कि सी0ए0 द्वारा निर्गत होनी चाहिए, संलग्न करनी होगी।

H -निविदा में केवल फर्म, पार्टनर फर्म, कम्पनी ही प्रतिभाग कर सकते हैं, Joint Venture प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

**Bid Specific-**

1-यह कि टेका इस टेके की अवधि 02 वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 अर्थात दिनांक 31.03.2027 तक की होगी।

2-तकनीकी निविदा में पात्र होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3-वित्तीय निविदा की धनराशि 1000 ₹0 के गुणांक में स्वीकार की जायेगी।

4-वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु न्यूनतम बेस प्राइज अंकन 1,11,00,000/-₹0(प्रतिवर्ष) रखा गया है, जिसके आधार पर ही निविदा/नीलामी में भाग लेने हेतु 10 प्रतिशत जमानत राशि अंकन 11 लाख 10 हजार ₹0 रखी गयी है, जो भी सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होगा सम्बन्धित टेकेदार/ऑफरदाता को दिये गये ऑफर की 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी, जो नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी।

5-यह कि टेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर टेकेदार को अपनी निविदा/नीलामी की वित्तीय 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, जिसके उपरान्त ही कार्यदिश जारी किया जायेगा, एवं 25 प्रतिशत धनराशि अगले 03 माह (जुलाई) तक व शेष 25 प्रतिशत धनराशि अगले 03 माह (अक्टूबर) 2025 के अन्दर जमा करनी होगी, तथा अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 50 प्रतिशत धनराशि माह मार्च 2026 में एवं 25 प्रतिशत धनराशि माह जुलाई 2026 व शेष 25 प्रतिशत धनराशि माह अक्टूबर 2026 में जमा करनी होगी, यदि टेकेदार शर्तों के अनुसार टेका धनराशि जमा नहीं कराता है, तो यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। और टेकेदार द्वारा जमा जमानत राशि सहित समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

6-ई-निविदा/नीलामी हेतु न्यूनतम वार्षिक ऑफर कॉलम संख्या 06 में अंकित है, उक्त कॉलम स0 06 में अंकित न्यूनतम ऑफर से कम का ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। वार्षिक ऑफर की समस्त धनराशि जमा होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त ही कार्यदिश जारी किया जायेगा।

7-जमानत राशि सम्पूर्ण टेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार टेका सम्पन्न करते रहने पर टेका अवधि के पश्चात टेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन टेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि टेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड टेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नहीं ले सकता है।

8-यह कि ठेकेदार को इस ठेके अन्तर्गत पथ विक्रेताओं से दैनिक व मासिक शुल्क की वसूली करनी होगी, वसूली की दरें निम्नवत् है:-

**A- साप्ताहिक पैठ:-** साप्ताहिक पैठ में प्रतिभाग करने वाले नगर पथ विक्रेताओं से अंकन 75/-रु0 प्रतिदिन अथवा 300 रु0 मासिक 6×6 फुट तक के स्थान के लिये वसूली करनी होगी।

**B- चलित ठेलें:-** इस श्रेणी के नगर पथ विक्रेताओं से चलित ठेलों 6×6 फुट तक के स्थान के लिये 400/-रु0 मासिक के आधार पर वसूली करनी होगी।

**C- स्थायी रूप से एक जगह खड़े होने वाले ठेलें:-** इस श्रेणी के नगर पथ विक्रेताओं से स्थायी ठेलों 6×6 फुट तक के स्थान के लिये 600/-रु0 मासिक के आधार पर वसूली करनी होगी।

**D- थलें:-** इस श्रेणी के नगर पथ विक्रेताओं से स्थायी थलों 6×6 फुट तक के स्थान के लिये 600/-रु0 मासिक के आधार पर वसूली करनी होगी।

**E- आवंटित स्थल:-** वैण्डिंग जोन में जिन नगर पथ विक्रेताओं को स्थल आवंटित हो गये है, उनसे 800/-रु0 मासिक की दर से वसूली की जायेगी।

9-यह कि उपरोक्त सभी श्रेणी(A,B,C,D,E) के किसी भी नगर पथ विक्रेता द्वारा यदि 6×6 फुट अर्थात् 36 वर्गफुट से अधिक स्थल पर कार्य किया जा रहा है, तो उससे दोगुणी दर से वसूली की जायेगी।

10-यह कि यदि कोई नगर पथ विक्रेता नगर निगम में पंजीकृत नहीं है, तो उससे दोगुणी दर से वसूली की जायेगी, लेकिन जैसे ही ऐसा नगर पथ विक्रेता नगर निगम में अपना पंजीकरण करा लेता है, तो उससे सामान्य दर से वसूली की जायेगी।

11-यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निजि स्थलों/पार्किंग स्थलों आदि से ठेकेदार वसूली नहीं करेगा लेकिन सडक पटरी/सरकारी स्थलों आदि पर लगे टियों/वेन्डर्स से वसूली करने का ठेकेदार हकदार होगा।

12-यह कि ठेकेदार को निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली करने पर कड़े जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी, और जिन नगर पथ विक्रेताओं से ठेके की शर्त के अनुसार दुगुणी दर पर वसूली की गयी है, उनकी सूची अगले ही दिन नगर निगम में प्रस्तुत करनी होगी, उनमें ऐसे नगर पथ विक्रेता भी होंगे जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे नगर पथ विक्रेताओं का पूर्ण विवरण जैसे नाम/पिता का नाम, पता, मो0न0 उपलब्ध कराना होगा।

13-यह कि ठेकेदार को नगर पथ विक्रेता को रसीद देनी अनिवार्य होगी, रसीद बुक नगर निगम सहारनपुर के रिकॉर्ड विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी छपाई का व्यय निगम द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

14-यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा जायेगा।

15-यह कि ठेके की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध जुर्माना करने, जमानत राशि जब्त करने, जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने, जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने के उपरान्त एक निर्धारित अवधि के लिये प्रतिबन्धित करने अथवा ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

16-ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।


17-यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।


18-यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त संख्या 05 की शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि में ठेका धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि व जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी, एवं भविष्य में होने वाले निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

19-ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।

20-जो भी कर/देयता भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी भी बोर्ड की होगी, उसके भुगतान का उत्तरदायित्व फर्म/व्यक्ति का होगा।

- 21-जनहित में नगर आयुक्त को किसी भी शर्त को परिवर्तित करने, संसोधित करने तथा नई शर्त आरोपित करने का अधिकार होगा।
- 22-किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- 23-वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद सहारनपुर होगा।
- 24-यदि टेकेदार द्वारा कम धनराशि के मूल्य पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराया जाता है, तो किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर अनुबन्ध में स्टाम्प की कमी है, तो उसके लिये केवल टेकेदार उत्तरदायी होगा, और उसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 25-यह कि यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर टेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे टेकेदार के विरुद्ध जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।
- 26-यह कि यदि टेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र/अभिलेख कूटरचित पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित टेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 27-अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल टेकेदार उत्तरदायी होगा।
- 28-यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित टेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
- 29-निविदा आमंत्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
- 30-निविदा/नीलामी अवधि में टेके से सम्बन्धित जानकारी सम्पत्ति अनुभाग व श्री राहुल कुमार(सम्पत्ति लिपिक मो0न0 8273098564) से प्राप्त की जा सकती है।

  
प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)  
नगर निगम सहारनपुर।

  
अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर।